

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बिजनौर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, रायबरेली, बलरामपुर, बदायूँ,
अलीगढ़, बाराबंकी, कन्नौज, गोरखपुर एवं महाराजगंज।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2021

विषय:- कोविड-19 के रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कर्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी०सी०, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी०सी०, दिनांक 22.06.2021 द्वारा कोविड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगाये गये कर्मिकों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को ₹0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

2- उक्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अंतर्गत आपके जनपद से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को ₹0 50.00 लाख की एकमुश्त राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कालम-7 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम सं०	जनपद का नाम	मृतक का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख रुपये में)	स्वीकृत की जाने वाली कुल धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	बिजनौर	स्व० प्रवेश देवी	आंगनवाडी कार्यकर्त्री	बाल विकास एवं पुष्टाहार	50.00	100.00
		स्व० मोहित कुमार	ग्राम पंचायत अधिकारी	पंचायतीराज	50.00	
2	लखनऊ	स्व० चन्द्र केश	वाणिज्य कर अधिकारी	वाणिज्य कर	50.00	300.00
		स्व० गिरीश चन्द्र	संयुक्त सचिव	राजस्व विभाग	50.00	
		स्व० बलवीर सिंह	परियोजना निदेशक (सूखा प्रबन्धन),	उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,	50.00	
		स्व० रुकमणी बिष्ट	अधिकांसी अधिकारी	नगर विकास	50.00	
		स्व० देवेन्द्र कुमार	ब्लॉक मिशन मैनेजर	ग्राम्य विकास	50.00	
		स्व० शादाब आलम अन्सारी	ब्लॉक मिशन प्रबन्धक	ग्राम्य विकास	50.00	
3	सहारनपुर	स्व० ब्रिजेश कुमार	तकनीकी सहायक	ग्राम्य विकास	50.00	100.00
		स्व० सुनील कुमार कटारिया	ग्राम विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास	50.00	

4	गाजियाबाद	स्व0 नरेन्द्र कुमार	अवर अभियन्ता	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	50.00	50.00
5	प्रयागराज	स्व0 शेर बहादुर	अधिशाली अधिकारी	नगर विकास	50.00	50.00
6	वाराणसी	स्व0 सुषमा सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी (संविदा)	बाल विकास एवं पुष्टाहार	50.00	100.00
		स्व0 अनन्त कुमार राय	सहायक अध्यापक	बेसिक शिक्षा विभाग	50.00	
7	मथुरा	स्व0 लक्ष्मी नारायण सिंह	मुख्य अभियन्ता	नगर विकास	50.00	50.00
8	रायबरेली	स्व0 सुनील कुमारी	आंगनवाडी कार्यकर्त्री	बाल विकास एवं पुष्टाहार	50.00	50.00
9	बलरामपुर	स्व0 ओम प्रकाश	औषधि निरीक्षक	खाद्यसुरक्षा औषधि प्रशासन	50.00	50.00
10	बदायूँ	स्व0 मनोज कुमार	सफाई नायक	नगर विकास	50.00	50.00
11	अलीगढ़	स्व0 मुन्ना कुमारी	आंगनवाडी कार्यकर्त्री	बाल विकास एवं पुष्टाहार	50.00	50.00
12	बाराबंकी	स्व0 मिथलेश कुमारी	आंगनवाडी कार्यकर्त्री	बाल विकास एवं पुष्टाहार	50.00	50.00
13	कन्नौज	स्व0 पूरन सिंह	उप निरीक्षक	गृह	50.00	50.00
14	गोरखपुर	स्व0 अशोक कुमार (द्वितीय)	अनुचर	गृह	50.00	50.00
15	महराजगंज	स्व0 जितेन्द्र कुमार दीक्षित	यात्री कर अधिकारी	परिवहन	50.00	50.00
कुल योग						1150.00

(रूपये ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र)

(4) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(5) राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश सं0-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी0सी0, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0सी0, दिनांक 22.06.2021 तथा राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021 दिनांक 26.07.2021 निहित प्राविधानों/शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही संबंधित कार्मिक की ड्यूटी कोविड की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में वास्तव में लगाई गई थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुई है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही संबंधित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण करेंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि आहरित कर के बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उत्पन्न कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना

जिलाधिकारी का कर्तव्य है। प्रदत्त धनराशि का पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।
- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 3- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि ₹0 11,50,00,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

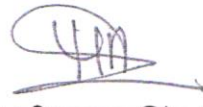
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/एक-10-2021-33(06)/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 - महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,


(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।